रजि० सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72
App. I (c page 115/c)
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 315] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1975/कार्तिक 30, 1897
No. 315] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1975/KARTIKA 30, 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November 1975

G.S.R. 562(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 102

THE SCHEDULED AREAS (HIMACHAL PRADESH) ORDER, 1975

In exercise of the powers conferred by paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (Himachal Pradesh) Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. The areas in the State of Himachal Pradesh specified below, are hereby declared to be the Scheduled Areas within that State:—

(1) Lahaul and Spiti district.

(2) Kinnaur district.

(3) Pangi tehsil and Bharmour sub-tehsil in Chamba district.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division, by whatever name indicated, shall be construed as a reference to the territorial division of that name existing at the commencement of this Order.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. F. 19(6)/73-L.I]
K. K. SUNDARAM, Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 562(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

सं० अ० 102

अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य के जो क्षेत्र नीचे विनिर्दिष्ट हैं, उन्हें उस राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है :—

(1) लाहौल और स्पीति जिला।

(2) किन्नौर जिला।

(3) चम्बा जिले की पंगी तहसील और भरमौर उप-तहसील।

3. पूर्ववर्ती पैरा में किसी क्षेत्रीय खण्ड, चाहे उसे किसी भी नाम से उपदर्शित किया गया हो, के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन, इस आदेश के प्रारम्भ पर विद्यमान उस नाम के क्षेत्रीय खण्ड के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० एफ० 19(6)/73-एल-1]

के० के० सुन्दरम्, सचिव

rt title.

ndment of
Fifth
edule.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975